झारखंड सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
संकल्प
झारखण्ड फिल्म नीति-2015

1. आमुख

1.1 झारखंड देश का एक महत्वपूर्ण राज्य - जहां क्या नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा, वीर योद्धाओं की कर्मभूमि, विभिन्न धर्म व कला - संस्कृतियों का समावेशी समाज, जहां कण - कण में एक कहानी छुपी हैं, जिसे आप फिल्मा भी सकते हैं, और जहां आकर अपनी फिल्म को एक नयी दिशा भी दे सकते है। सिनेमा का जब से मानव समाज में पदार्पण हुआ, तब से यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के समाज व कला-संस्कृति को प्रभावित किया है। इसे हम अलग कर के नहीं चल सकते। आज तो फिल्म एक उद्योग का रुप ले चुका हैं, और यहीं कारण हैं कि आज देश का प्रत्येक राज्य इस क्षेत्र में नीति बना कर आगे की ओर बढ़ रहा हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश तो इस क्षेत्र में बहुत ही आगे निकल गये हैं, जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को तो मनोरंजन की राजधानी तक कहा जाता हैं, पर सच्चाई यह भी हैं कि इस मनोरंजन की राजधानी में बसे लोगों को भी प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति अपनी ओर खींचती हैं और जहां एक बार इसका भान हुआ कि माहौल बनना शुरु हो जाता हैं। आज हमारे राज्य में कई मातृभाषाओं में गीतों व फिल्मों का फिल्मांकन हो रहा है। खुशी इस बात की हैं कि अपने राज्य के कई फिल्मकार राष्ट्रीय क्षितिज पर चमके है और इनकी कई योजनाएं भी है ऐसे में राज्य में फिल्म उदयोग के लिए एक माहौल बने, लोग यहां पर अपने फिल्मों का फिल्मांकन कर सके। बहुत कम लोगों को पता हैं कि आज जिस भोजपुरी फिल्म का बाजार दिनानुदिन बढ़ता जा रहा हैं, उस भोजपुरी भाषा में पहला फिल्म देनेवाला झारखंड का ही व्यवसायी थे, जिनका नाम था - विश्वनाथ शाहाबादी। जिस व्यक्ति ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की आशाओं को परवान चढ़ाया। भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म - गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो बनायी, जो सुपर-डूपर हिट हुई थी। उस फिल्म के निर्माता - विश्वनाथ शाहाबादी थे। इस फिल्म को दिल्ली के गोलचा सिनेमा हाल में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा था, जबकि डा. राजेन्द्र प्रसाद ने इस फिल्म को पटना के सदाकत आश्रम में देखा और ये दोनों हस्तियां इस फिल्म को देख अभिभूत हो गयी। राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, कला-संस्कृति व पर्यटन को एक नयी दिशा मिले, राज्य में फिल्म उद्योग के क्षेत्र में नये रोजगार का सृजन हो। इसके लिए फिल्म नीति की बहुत ही आवश्यकता हैं, और इसे वर्तमान परिवेश में भूलाया नहीं जा सकता। इससे झारखंड की छवि और उसका इतिहास भी देश के सुदुरवर्ती इलाकों में देखने और सुनने को मिलेगा, जिससे राज्य को एक नये प्रकार की पहचान मिलेगी.....भारत सरकार ने

फिल्मों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। झारखण्ड सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय 2012 में उद्योग नीति की कंडिका 28 के तहत ही लिया जा चुका था, क्योंकि सरकार का मानना हैं कि फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए और भी ज्यादा सशक्त माध्यम है।

1.2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में झारखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इस राज्य ने फिल्म उद्योग को कई ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, तथा कथा/पटकथाकार दिये हैं। झारखंड बन जाने के बाद भी राज्य के विशाल भू-भाग में फिल्म निर्माण के लिए जितनी प्राकृतिक सौंदर्य और शूटिंग के लिए स्थान हैं, ऐसा स्थान और उसकी संख्या पूरे देश में कहीं नहीं.... हालांकि वर्ष 2012 में फिल्म नीति बनाने का निर्णय लिया गया फिर भी इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उन हर बातों का ख्याल रखा गया है, जिसमें झारखण्ड में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

1.3 आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसा उपयुक्त वातावरण सृजित किया जाय, जिससे झारखण्ड में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य झारखण्ड में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढांचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

2. उद्देश्य ----------

क. झारखण्ड को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना।

ख. प्रदेश के अद्भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देना एवं पर्यटकों को आकर्षित करना।

ग. प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना।

घ. प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।

ड. फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना।

च. देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ व अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना।

3. रणनीति

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है। तथा इस निमित्त झारखण्ड फिल्म विकास निगम का गठन करने की योजना है। यह निगम प्रदेश में फिल्म निर्माण और उसके विकास के सारे पहलूओं पर ध्यान रखेगा। जिसमें इसके प्रमुख कार्य होंगे.....

क. श्रेष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक फिल्म निर्माण के सृजन में सहयोग देना,

ख. विद्यमान अधिसंरचना का जीर्णोद्धार,

ग. नवीनीकरण एवं उच्चीकरण,

घ. अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना,

ड. प्रशासनिक सहायता,

च. वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षक पैकेज,

छ. सुयोग्य वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा

ज. सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि।

4. परिभाषा

फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमाटोग्राफी अधिनियम में दी गयी है।

5. स्थापना

5.1 फिल्मों के लिए विशिष्ट प्रकार की अधिसंरचना की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में इस प्रकार की स्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की स्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य सरकार यथासम्भव विद्यमान कमियों को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगी।

5.2 फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अधिसंरचना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

क. शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए जैसे स्टूडियों एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएं।

ख. फिल्म प्रर्दशन के लिए अधिसंरचना ।

ग. उपकरण